बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः योo6/2–29/2018 1572 /योoविo, पटना दिनांक 31 मार्च, 2019
प्रेषक,

पूनम झा,
संयुक्त निदेशक।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
राज्य योजना से संबंधित सभी विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः **वार्षिक स्कीम 2018–19 के लिए अनुश्रवण की मासिक बैठक से संबंधित।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध में कहना है कि वार्षिक स्कीम 2018–19 अन्तर्गत माह **मार्च, 2019** तक किये गए व्यय की समीक्षा हेतु सचिव की अध्यक्षता मे **दिनांक 04.04.2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से संलग्न रोस्टर के अनुसार** सूचना भवन स्थित पॉचवे तल पर स्थित बिहार राज्य योजना पर्षद के सभागार में आपके विभाग से संबंधित नोडल पदाधिकारियो की बैठक निर्धारित की गयी है, जिसके लिये निम्नानुसार प्रतिवेदन अपेक्षित है:–

❖ विभागीय पत्रांक 325 दिनांक 20.01.2018 द्वारा उद्व्यय के संसूचन के अनुसार माह **मार्च, 2019** के प्रक्षेत्रवार उद्व्यय/व्यय प्रतिवेदन (प्रपत्र–A, B)। **योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 4539 दिनांक 18.08.2017 द्वारा भेजे गये संशोधित प्रपत्र A एवं B के सभी कॉलम में सूचनाएँ अंकित की जानी अपेक्षित है।**

❖ विभागीय पत्रांक 3859 दिनांक 24.09.2012 द्वारा निर्गत अनु0 जाति उप योजना/जनजाति उप योजना के लिए निर्धारित प्रपत्र मे प्रतिवेदन।

❖ स्पेशल प्लान (बी०आर०जी०एफ०) से संबंधित विभाग का विहित प्रपत्र में व्यय प्रतिवेदन।

❖ केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत केन्द्र सरकार से राशि की विमुक्ति हेतु राज्य स्तर से उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अन्य कार्रवाई की अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन भी अपेक्षित है।

2 इन कार्यक्रमों का माह **मार्च, 2019** तक का व्यय प्रतिवेदन विहित प्रपत्रो मे ई–मेल secy-plandev-bih@nic.in एवं हार्ड कॉपी की एक प्रति में **दिनांक 03.04.2019** तक उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

3. ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, गृह विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग से अनुरोध है कि महामहिम राज्यपाल को भेजे जाने वाले मासिक प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) को दिनांक **03.04.2019** तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि ससमय महामहिम राज्यपाल को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

4. Spill Over Scheme के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 मे दायित्व (Liabilities) की राशि एव तदनुरूप उद्व्यय की उपलब्धता संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक 1828/यो0वि0 दिनाक 12 04 2018 द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने की भी कृपा की जाय।

अत: अनुरोध है कि निर्धारित **तिथि एवं संलग्न रोस्टर के अनुसार समय** पर प्रतिवेदन की एक प्रति के साथ बैठक में भाग लेने हेतु अपने विभाग के नोडल पदाधिकारी को निदेश देने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
1.4.19
(पूनम झा)
संयुक्त निदेशक

P.T.O.

ज्ञापांकः योо6/2–29/2018 1572 /योоविо, पटना दिनांक 01 मार्च, 2019

प्रतिलिपिः अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/श्री उपेन्द्र कुमार दास, वरीय संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय/डाо इन्द्रजीत चौरसिया, संयुक्त निदेशक/श्री चन्द्रभूषण, उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग/अपर निदेशक, मूल्यांकन निदेशालय/प्रोजेक्ट इंचार्ज, सीоटीоएमоआईоएसо, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक

ज्ञापांकः योо6/2–29/2018 1572 /योоविо, पटना दिनांक 01 मार्च, 2019

प्रतिलिपिः सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सयुक्त निदेशक

ज्ञापांकः योо6/2–29/2018 1572 /योоविо, पटना दिनाक 01 मार्च, 2019

प्रतिलिपि· श्री जितेन्द्र प्रसाद, सहायक निदेशक, बिहार राज्य योजना पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि दिनाक **04.04.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न** से बिहार राज्य योजना पर्षद स्थित सभागार को इस बैठक के लिए आरक्षित करने की कृपा की जाय।

संयुक्त निदेशक

ज्ञापाकः योо6/2–29/2018 1572 /योоविо, पटना दिनांक 01 मार्च, 2019

प्रतिलिपिः श्री सुदामा कुमार, आईоटीо मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक

दिनांक 04.04.2019 को निर्धारित बैठक का रोस्टर

समयः— **11.00 बजे पूर्वाह्न से 12:30 बजे अपराह्न**

स्थानः— **सूचना भवन स्थित पाँचवें तल पर स्थित बिहार राज्य योजना पर्षद के सभागार।**

विभाग का नाम	निर्धारित समय
शिक्षा / ग्रामीण विकास / ग्रामीण कार्य / ऊर्जा / समाज कल्याण / पथ निर्माण / स्वास्थ्य / नगर विकास एवं आवास / जल संसाधन / पंचायती राज / कृषि विभाग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण / पिछडा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण / अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति / सहकारिता / विज्ञान एवं प्रावैधिकी / अल्पसंख्यक कल्याण / उद्योग / श्रम / गृह / विधि विभाग	11.00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे मध्याह्न
पशु एवं मत्स्य संसाधन / लघु जल संसाधन / कला, संस्कृति एवं युवा / मंत्रिमंडल सचिवालय / सूचना प्रावैधिकी / भवन निर्माण / पर्यावरण एवं वन / राजस्व एवं भूमि सुधार / सामान्य प्रशासन / गन्ना उद्योग / सूचना एवं जनसम्पर्क / वित्त / आपदा प्रबंधन / परिवहन / निर्वाचन / वाणिज्य कर / मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन / पर्यटन / खनन एवं भूतत्व विभाग	12.00 बजे मध्याह्न से 12:30 बजे अपराह्न